RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No.MCS/170/2016-18.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३९(२)] **शुक्रवार, नोव्हेंबर २४, २०१७/अग्रहायण ३, शके १९३९** **[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ६४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

राजस्व और वन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २१ नवम्बर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVII OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. २७ सन २०१७।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९६६ का महा. ४१।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड़ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २५५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा २५५ की उप-धारा (४) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

" परंतु यह भी कि, जहाँ अपीलिय प्राधिकरण उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी ऐसी कार्यवाही का निपटान करने में असफल होता हैं, तो केवल राज्य सरकार, लिखित में उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे किसी ऐसी कार्यवाही के निपटान करने के लिए ऐसे अधिकतर समय विस्तार की मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी।"।

सन १९६६ का महा. ४१ की धारा २५७ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २५७ की,—

(क) उप-धारा (१) के परन्तुक में, " अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश का दिनांक " शब्दों के पश्चात्, " राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय " शब्द जोड़े जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (३) के, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्न परंन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह भी कि, जहाँ पुनरीक्षण प्राधिकरण उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी ऐसी कार्यवाही का निपटान करने में असफल होता है तो केवल राज्य-सरकार, लिखित में उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् , जैसा वह उचित समझे किसी ऐसी कार्यवाही के निपटान के लिए ऐसे अधिकतर समय विस्तार की मंजूरी देने के लिए समक्ष होगी। " ;

वक्तव्य।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन १९६६ का महा.४१) का अध्याय १३, **" अपीलों, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन "** का निपटान करता है। इस अध्याय में धारा २४६ से धारा २५९ अंतर्विष्ट है। उक्त संहिता की धारा २५५ अपीलिय प्राधिकरण की शक्तियों का विचार करती है और महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा २५७ राज्य सरकार की शक्तियों का तथा कतिपय राजस्व तथा सर्वेक्षण अधिकारियों को बुलाने के लिए तथा अधीनस्थ अधिकारियों के अभिलेखों का परीक्षण तथा कार्यवाही करने पर विचार करती है। महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन), अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. ११) द्वारा यथा संशोधित, उक्त संहिता की धारा २५५ तथा धारा २५७ में के उपबंधों के अनुसार, किसी अपीलिय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दायर कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन, ऐसे अपील या आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसका निपटान किया जायेगा तथा आपवादिक परिस्थितियों, में लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि में अधिकतर छह महिने की अवधि द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा। यदि किसी अपीलिय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करते समय, उप-धारा २५५ या २५७ में उपबंधित समय सीमा के भीतर अपील या पुनरीक्षण का निपटान करने में असफल होता है, तो ऐसा अधिकारी, उक्त संहिता की धारा २५५ की उप-धारा (५) तथा धारा २५७ की उप-धारा (३) के चतुर्थ परन्तुक के अधीन उसे लागू संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसार, अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए दायी होगा।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. ११) द्वारा उक्त धारा २५५ तथा २५७ के संशोधन के पूर्व विभिन्न अपीलिय और पुनरीक्षण प्राधिकरणों के समक्ष बडी संख्या में अपील या पुनरीक्षण आवेदन पहले से लंबित थे और आवेदकों द्वारा उसकेपश्चात्, समय समय पर, कई नवीन अपीलों या पुनरीक्षण आवेदनों को दाखिल किया है। उक्त संहिता की धारा २५५ की उप-धारा (४) तथा धारा २५७ की उप-धारा (३) के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुबद्ध एक वर्ष की अनुबद्ध अवधि के भीतर, कई इन अपीलों या आवेदनों का निपटान नहीं हो सका था। वैसे ही, उक्त संहिता की धारा २५५ की उप-धारा (४) के द्वितीय परंतुक तथा धारा २५७ की उप-धारा (३) के तृतीय परन्तुक के अधीन यथा उपबंधित छह महीने के विस्तारित समय सीमा के भीतर कुछ अपीलों या पुनरीक्षण आवेदनों का निपटान नहीं हो सका था। उक्त संहिता की उक्त धारा २५५ तथा २५७ में उल्लिखित समय सीमा अवसित होने के पश्चात् ऐसे अपीलों के निपटान या मामलों के पुनरीक्षण संबधि कार्यवाहियाँ सुकर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को, उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उक्त संहिता की उक्त धारा २५५ तथा २५७ में यथोचित उपबंध बनाकर सशक्त करना इष्टकर है।

२. उक्त संहिता की धारा २५७ की उप-धारा (१) का परन्तुक यह उपबंध करता है कि, उक्त उप-धारा के अधीन ऐसी कार्यवाही, अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अवसित होने के पश्चात्, कोई राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी शुरू नहीं करेगा। यदि कोई मामला मिथ्या या अपर्याप्त जानकारी के आधार पर विनिश्चित है तथा संबंधित व्यथित व्यक्ति, अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अवसित होने के पूर्व पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने में असफल होता है तो ऐसा निर्णय या आदेश उक्त उप-धारा (१) के अधीन पुनरीक्षित नहीं होगा। ऐसी असुविधा को दूर करने के उद्देश से उप-धारा (१) के परन्तुक में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है, ताकि केवल सरकार की पूर्वानुमति से पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामलों का पुनरीक्षण समर्थ हो सकें।

३. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित २१ नवम्बर २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनुकुमार श्रीवास्तव,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.